क्रम-संख्या–126

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 20 मई, 2013

बैशाख 30, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 520/79-वि-1–13-2(क)-5-2013
लखनऊ, 20 मई, 2013

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2013) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2013)

[भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के प्रति हिंसा और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति की क्षति के निवारण एवं उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य में चिकित्सा सेवा कर्मियों के जीवन को क्षति और खतरा तथा चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को हानि पहुँचाने वाले हिंसात्मक कृत्य हो रहे हैं जिससे चिकित्सा परिचर्या व्यवसायियों में असंतोष पैदा हो रहा है और परिणामतः राज्य में ऐसी सेवायें गंभीर रूप से बाधित हो रही हैं ;

और, चूँकि, उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे हिंसक कृत्यों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बना कर रोकना आवश्यक हो गया है;

और, चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद–213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 कहा जायेगा।

परिभाषाएं

2–जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में ;–

(क) "चिकित्सा परिचर्या सेवा" का तात्पर्य, शिशु जन्म से संबंधित प्रसवपूर्व और प्रसवोपरान्त देखभाल या उससे संबंधित कोई भी बात, या किसी बीमारी, चोट या अंग शैथिल्य, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, से ग्रस्त व्यक्तियों को किसी भी रूप में परिचर्या एवं देखरेख को सम्मिलित करते हुए चिकित्सीय उपचार और देखभाल उपलब्ध कराने के कृत्य से है;

(ख) "चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था" का तात्पर्य मेडिकल कालेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में किसी चिकित्सालय, चाहे जिस भी नाम से पुकारा जाय, या लोगों को चिकित्सा परिचर्या सेवा उपलब्ध कराने वाली ऐसी अन्य संस्थाओ से है, जो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम, क्लीनिक और प्रसूति केन्द्र द्वारा स्थापित और प्रबंधित हो, या नियंत्रणाधीन हो और उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पंजीकृत हो;

(ग) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के संबंध में "चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी" का तात्पर्य अनन्तिम पंजीकरण धारक को सम्मिलित करते हुए किसी पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत नर्स, चिकित्सा विद्यार्थी, नर्सिंग विद्यार्थी और अर्द्ध चिकित्सीय कर्मकार से है और इसमें ऐसी संस्था में नियोजित और कार्यरत कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(घ) "हिंसा" का तात्पर्य ऐसे क्रिया कलापों से है जो चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में या उसके बाहर कर्तव्य का निर्वहन करने वाले किसी भी चिकित्सा परिचर्या कर्मी को कोई हानि पहुँचाने, क्षति पहुँचाने या उसके जीवन को संकटापन्न करने या उसको अभित्रास, अवरोध या बाधा पहुँचाने वाले हों;

(ङ) "सम्पत्ति" का तात्पर्य किसी सम्पत्ति, स्थावर हो या जंगम, चिकित्सा उपस्कर या चिकित्सा यन्त्र सामग्री से है जो किसी चिकित्सा सेवा कर्मी या चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान के नियंत्रण में हो;

(च) "आपात चिकित्सा परिवहन सेवा" का तात्पर्य सभी सचल चिकित्सा इकाइयों एवं चिकित्सा उपस्करों से युक्त चिकित्सा वाहन से है, जिसका उपयोग चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने में किया जाय।

चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसा और सम्पत्ति की क्षति

3–कोई भी जो,–

(क) किसी चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी के विरुद्ध हिंसात्मक कृत्य करे; या

(ख) चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाए, ऐसे अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जा सकेगा।

4–धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा। अपराध का संज्ञान

5–(1) धारा 3 के अधीन उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय यह आदेश दिया जायेगा कि आरोपित व्यक्ति क्षतिग्रस्त चिकित्सीय उपस्कर के क्रय मूल्य की धनराशि और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था की सम्पत्ति को हुई हानि के दोगुने की शास्ति के लिए दायी होगा। सम्पत्ति को पहुँचाई गयी क्षति की वसूली

(2) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन शास्तिक क्षतिपूर्ति का सुंदाय नहीं किया जाता है, तो उसकी वसूली उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1950 की बकाया के रूप में की जायेगी।

6–इस अध्यादेश के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। अध्यादेश का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना

बी0 एल0 जोशी,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 520(2)/LXXIX-V-1–13-2(Ka)-5-2013

Dated Lucknow, May 20, 2013

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chikitsa Paricharya Seva Karmi Aur Chikitsa Paricharya Seva Sanstha (Himsa Aur Sampatti Ki Kshati Ka Niwaran) Adhyadesh, 2013 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 6 of 2013) promulgated by the Governor.

THE UTTAR PRADESH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO PROPERTY) ORDINANCE, 2013

(U.P. ORDINANCE NO. 6 OF 2013)

[*Promulgated by the Governor in the Sixty-fourth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

to prevent violence against medicare service persons and damage to property of medicare service institutions and for matters connected therewith and incidental thereto.

WHEREAS acts of violence causing injury or danger to life of Medical Service Persons and damage to property of Medicare Service Institutions are rampant in the State causing unrest in medicare professionals resulting in serious hindrance in such services in the State;

AND, WHEREAS, it has become necessary to prevent such violent activities in the State of Uttar Pradesh by making it as a cognizable and non-bailable offence;

AND, WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:–

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Ordinance, 2013. Short title

Definitions

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,–

(a) "Medicare Service" means the act of providing medical treatment and care including antenatal and postnatal care in connection with child birth or anything connected therewith, or nursing care in any form to persons suffering from sickness, injury or infirmities whether of body or mind;

(b) "Medicare Service Institutions" means a medical college, a hospital as Community Health Centre, Primary Health Centre, Health Centre by whatever name called or such other institutions providing Medicare Service to the people, which is establish and managed by, or under the control of, the State Government or the Central Government or any local authority or any private Hospital/Nursing Home, Clinic and Maternity Centre registered with Uttar Pradesh Medical and Health Department;

(c) "Medicare Service Person" in relation to a Medicare Service Institution means a registered Medical Practitioner including provisional registration holder, a registered Nurse, a Medical Student, a Nursing Student and a Para-medical worker and includes any person employed and working in such institution;

(d) "Violence" means such activities as are causing any harm, injury or endangering the life or intimidation, obstruction or hindrance to any Medicare Service Person in discharge of duty in or outside a Medicare Service Institution;

(e) "Property" means any property, movable or immovable or medical equipment or medical machinery owned by or in possession of, or under the control of any Medicare Service Person or Medicare Service Institution;

(f) "Emergency Medical Transport Service" means all mobile medical units or medical ambulances equipped with medical equipment, used for providing Medicare Services.

Violence against Medicare Service Person and damage to property

3. Whoever,–

(a) commits an act of violence against a Medicare Service Person; or

(b) causes any damage to the property of any Medicare Service Institution,

shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.

Cognizability of offence

4. An offence punishable under section 3 shall be cognizable and non-bailable.

Recovery of loss for damage to the property

5. (1) In addition to the punishment provided under section 3, the court shall, when passing judgment, order that the accused person shall be liable to a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipment damaged and loss caused to the property of the Medicare Service Institution.

(2) Where the order of compensation made under sub-section (1) is not paid, the same shall be recovered under the provisions of the U.P. Land Revenue Act, 1950 from the accused person as if it were an arrear of land revenue.

Ordinance not in derogation of any other law

6. The provisions of this Ordinance shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

B. L. JOSHI,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
S.K. PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 123 राजपत्र (हि0)–2013–(249)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 13 सा० विधा0–2013–(250)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।